Government accommodation has been initiated as per rules. Moreover the Hon'ble Supreme Court has directed recently to ensure initiation of proceedings for expeditious recovery of Government dues in such cases.

बीस हजार से कम आबादी वाले नगरों के लिए योजनाएं

3628. **श्री गेविन्दराम मिश्रीः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास बीस हजार से कम आबादी वाले नगरों के लिए कोई योजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में **राज्य मंत्री (डा. यू. बेंकटेश्वरलु)ः** (क) और (ख) छोटे और मझौले करवों के एकीकृत विकास की स्कीम (आई. डी. एस. एम. टी.) और त्वरित शहरी जल आपुर्ति कार्यक्रम (एम. डब्लू. एस. पी.) की केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीमों के अंतर्गत 20,000 से कम आबादी वाले कस्वों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है। जहां तक आई. डी. एस. एम. टी. का संबंध है स्कीमों के चयन और स्वीकृत करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। राज्य स्तरीय आई. डी. एस. एम. टी. अनुमोदन समितियां आई. डी. एस. एम. टी. परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए सक्षम है। जहां तक ए. यू. डब्ल्यू एस. पी. का संबंध है विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त 137 प्रस्तावों की केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन (सी. पी. एच. ई. ई. ओ.) द्वारा जांच की जा रही है। वार्षिक योजना, 1997-98 के दौरान स्कीमों के लिए योजना आयोग ने 28 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया है। लम्बित प्रस्तावों की सी. पी. एच. ई. ई. ओ. द्वारा जांच के पश्चात वार्षिक पिरव्यय की सीमा शर्त पर पात्र स्कीमों के लिए निधियां जारी की जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीरियरों का स्थानान्तरण

3629. **श्रीमती मालती शर्माः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों का स्थानान्तरण हर तीन से पांच वर्षों में कर दिया जाता है,

(ख) यदि हां, तो डी. आई. जैड एरिया, सैक्टर-4, नई दिल्ली के विधुत मंडल संख्या-12 और कलावती सरन अस्पताल मंडल के इंजीनियरों के उनके मंडल में कार्यकाल को पूरा हो जाने के बाद भी स्थानान्तरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्रवाही कर रही है और उनका स्थानान्तरण कब तक किये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलु)ः (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ विशिष्ट मामलों में, कार्य की अत्यावश्यकताओं में और प्रशासनिक कारणों से कार्यपालक इंजीनियरों को 5 वर्षों से अधिक के लिए रोका जाता है। कार्यपालक इंजीनियर विधुत मण्डल सं. 12 के मामले में भी कार्य की अतयावश्यकता के कारण उन्हें अब तक स्थानान्तरित नहीं किया गया है। कार्यपालक इंजीनियर सुचेता कृपलानी अस्पताल मण्डल को उस मण्डल में 29.11.95 को ही तैनात किया गया है।

सहायक इंजीनियरों का स्थानान्तरण और तैनाती वरीयता और स्टेशन में रहने की अवधि के आधार पर भाग (क) में उल्लेख किया गया है के पूरा हो जाने से यह अरथ नहीं है कि एर सहायक इंजीनियर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्वतःही स्थानान्तरित हो जायेगा क्योंकि दिल्ली से बाहर तुलना के आधार पर कम संख्या में पद हैं। विद्यामान में सहायक इंजीनियरों (विधुत), में मई, 1981 से पहले के तैनात है, को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया गया है। एक विशेष स्थान पर टिकने की अवधि के आधार पर प्रत्येक के स्ट्शनों पर ठहरने की अवधि के आधार पर स्थानान्तरण किये जाते हैं। विधुत मण्डल सं. 12 और सुचेता कृपलानी अस्पताल विधुत मण्डल में तैनात किये गये में से मात्र एक सहायक इंजीनियर (विधुत) का ही दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण हो जाता है। तथपि, चूंकि कथित कार्मिक को अगले दो ही सेवानिवृत हो जाना है अतः उसे दिल्ली से